राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

दूरभाषः 0141–2224878 ई–मेल rmsc.mnjy@gmail.com

क्र0: एफ04 (200)एमएनजेवाई / सामान्य पत्रावली / 2015–16/670 दिनांक 19/1/16

समस्त संयुक्त निदेशक जोन,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान।

विषयः– मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना अन्तर्गत संविदाओं के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के संबंध में वित्त विभाग के सर्कुलर एफ. 1(4) / एफडी / नियम / 2011 / पीटी ।। दिनांक 27.06.2014 की पालना किये जाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना अन्तर्गत चिकित्सा संस्थानों में संविदाओं के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को लिये जाने के संबंध में वित्त विभाग से अनुमोदित गाइडलाइन एवं लेबर एक्ट के अनुसार जारी दिशा निर्देशों के पश्चात भी एजेन्सियों के द्वारा कार्यरत कार्मिकों के मानदेय भुगतान का आर्थिक शोषण किया जा रहा है।

इस संबंध में उक्तानुसार आर्थिक शोषण रोके जानें हेतु एवं कार्मिकों को समय पर एवं नियमानुसार मानदेय भुगतान किये जाने हेतु जारी दिशा निर्देशों के अतिरिक्त वित्त विभाग के सर्कुलर एफ.1(4) / एफडी / नियम / 2011 / पीटी ।। दिनांक 27.06.2014 की भी नियमानुसार पालना सुनिश्चित की जावें। जिसकी रिपोर्ट अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता कार्यालय को प्रेषित करावें।

संलग्नः– उक्तानुसार।

निदेशक(जन0 स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् विशिष्ठ सचिव को माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, के निर्देशानुसार सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक एनएचएम, राजस्थान।
4. नोडल अधिकारी (एमएनजेवाई)।
5. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक(जन0 स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर